तेज रफ्तार से बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट तैयार

70 मीटर लंबा स्टील ब्रिज का निर्माण

100 साल की उम्र के हिसाब से डिजाइन

अहमदाबाद, 09 अप्रैल (वार्ता) मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए डीएफसीसीआईएल ट्रैक पर 70 मीटर लंबा मेक इन इंडिया स्टील ब्रिज का निर्माण किया गया है.

नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से बुधवार को यहां जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार परियोजना के लिए सात स्टील ब्रिज का निर्माण किया जा चुका है जिसमें 10,000 टन से अधिक स्टील का उपयोग किया गया है.

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए आठ अप्रैल 2025 को गुजरात में वडोदरा के पास दो डीएफसीसीआईएल ट्रैक पर 70 मीटर लंबा स्टील ब्रिज का निर्माण किया गया. यह पूरे कॉरिडोर के लिए नियोजित 28 स्टील ब्रिज में से गुजरात में परियोजना के लिए पूरा किया गया सातवाँ स्टील ब्रिज है. इन सात स्टील ब्रिज के निर्माण में 10,000 टन से अधिक स्टील का उपयोग किया गया है, जिससे भारत में इस्पात उद्योग को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा. 13 मीटर ऊंचाई और 14 मीटर चौड़ाई वाले इस 674 टन स्टील ब्रिज को कोलकाता में दुर्गापुर स्थित कार्यशाला में तैयार किया गया है और इसे इंस्टालेशन के लिए ट्रेलरों पर साइट पर ले जाया गया. ब्रिज को 49 मीटर लंबे लॉन्चिंग नोज़ का उपयोग करके लॉन्च किया गया है, जिसका वजन लगभग 204 टन है.

ब्रिज के निर्माण में लगभग 28800 टोर-शियर प्रकार उच्च शक्ति बोल्ट का उपयोग किया गया, जिनमें सी5 प्रणाली पेंटिंग और इलास्टोमेरिक बियरिंग्स शामिल है, जिन्हें 100 वर्ष के जीवनकाल के लिए डिजाइन किया गया है. ब्रिज को अस्थायी ट्रेस्टल्स पर जमीन से 18 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया और इसे मैक-मिश्र धातु बार का उपयोग करते हुए 2 अर्ध-स्वचालित जैक की स्वचालित प्रणाली से खींचा गया, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 250 टन थी. डीएफसीसी ट्रैक पर इंटरमिटेंट ब्लॉक के साथ 12 घंटे के भीतर लॉन्चिंग पूरी की गई. ब्रिज लॉन्चिंग की सुरक्षा और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए ट्रैफिक ब्लॉक्स आवश्यक है जिसे माल ढुलाई सेवाओं में व्यवधान को कम करने के लिए चरणबद्ध तरीके से किया जाता है.

अब 15 मई से मिलेगा पानी

गुजरात में नर्मदा कमांड क्षेत्र में सिंचाई के लिए आवश्यकतानुसार एक महीने पहले पानी दिया जाएगा.सरकारी सूत्रों ने बुधवार को बताया कि राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कपास और अन्य खरीफ फसलों की बुवाई करने वाले किसानों के विशाल हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय किया है. उन्होंने इस वर्ष नर्मदा कमांड क्षेत्र में आवश्यकतानुसार सिंचाई का पानी एक महीने पहले यानी 15 मई, 2025 से उपलब्ध कराने का किसान हितैषी निर्णय लिया है, ताकि इस क्षेत्र के किसान अग्रिम आयोजन कर फसलों की बुवाई और उत्पादन बढ़ा सकें. आम तौर पर सरदार सरोवर योजना के सिंचित क्षेत्र में खरीफ सीजन के लिए 15 जून के बाद पानी छोड़ा जाता है. यदि किसानों को सिंचाई के लिए पहले ही पानी उपलब्ध कराया जाए, तो वे अधिक उत्पादन प्राप्त कर आर्थिक रूप से और अधिक सक्षम बन सकते हैं.

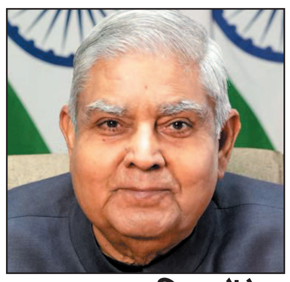

धनखड़ शामिल होंगे महानाट्य उत्सव में

नयी दिल्ली 09 अप्रैल (वार्ता) उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला मैदान के माधवदास पार्क पर शनिवार से शुरू हो रहे सम्राट विक्रमादित्य के कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर आधारित तीन दिवसीय 'महानाट्य' उत्सव में सम्मिलित होंगे. उप राष्ट्रपति सचिवालय ने बुधवार को यहां बताया कि 12 अप्रैल से शुरू होने वाले नयी दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला स्थित माधवदास पार्क में सम्राट विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित भव्य सांस्कृतिक प्रस्तुति 'महानाट्य' में सम्मिलित होंगे. 'महानाट्य' एक अद्भुत नाट्य प्रस्तुति है, जो सम्राट विक्रमादित्य के जीवन से जुड़ी प्रेरणादायक गाथाओं को जीवंत करती है. उज्जैन के इस प्रसिद्ध सम्राट को उनकी वीरता, न्यायप्रियता और कला और शिक्षा के प्रति संरक्षण के लिए जाना जाता है.

शिक्षा व्यवस्था बदलने की जरूरत

बोलीं सोनिया गांधी-दलितों के साथ हो रही हैं अत्याचार की घटनाएं

अहमदाबाद, 09 अप्रैल (वार्ता) कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा है कि देश में तानाशाही चल रही है तथा कुछ उद्योगपतियों को देश की संपत्ति सौंपी जा रही है जिससे अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ रही है.

खरगे ने यहां कांग्रेस अधिवेशन के आखिरी दिन बुधवार को देश के विभिन्न हिस्सों से आये प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश में आम लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, विपक्षियों को सताया जा रहा है, दलितों के प्रवेश से मंदिरों को गंगाजल छिड़क कर पवित्र किया जा रहा है और आम लोगों को जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, उसे माफ नहीं किया जा सकता है.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का कहना है कि समाज में सबसे बड़ी दिक्कत शिक्षा व्यवस्था की है. इसे बदलने की सख्त जरूरत है ताकि गरीब और दलित का बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे और उसे उच्च शिक्षा प्राप्त करने का हक मिले. आदिवासियों को देश का मूल निवासी बताते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लोग इन्हें वनवासी कह रहे हैं और नया शब्द देकर उन्हें किनारे करने का प्रयास कर रहे हैं.

दलितों के साथ लगातार अत्याचार की घटनाएं हो रही है, लेकिन उन पर किसी का ध्यान नहीं है. मीडिया इस पर ध्यान नहीं देता है क्योंकि यदि इस तरह की घटना दिखाएंगे तो मालिकों को जेल की सजा हो सकती है.

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती है और पुराने मुद्दों को सामने लाकर समाज को विभाजित करने का काम करती है. देश में अभिव्यक्ति की आजादी खत्म की जा रही है लोगों की पहनने तथा बोलने की आजादी खत्म की जा रही है. कमजोर वर्ग के लोगों को उनके हक से वंचित किया जा रहा है.

कांग्रेस को ऊर्जावान लोगों की जरूरत

खरगे ने कहा कि कांग्रेस को ऊर्जावान लोगों की जरूरत है और उन्हीं के बल पर कांग्रेस को आगे बढ़ाया जा सकता है. कांग्रेस में सबको सक्रिय होकर पार्टी को मजबूत करना है. उन्होंने कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश दिया कि कांग्रेस में जो लोग जिम्मेदारी नहीं निभा सकते, उन्हें रिटायर होना चाहिए और जो योगदान नहीं करते उन्हें आराम करना चाहिए. कांग्रेस अध्यक्ष ने मोदी सरकार को दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी तथा पिछड़ा वर्ग विरोधी बताया और कहा कि वह इन वर्गों की जनगणना नहीं करना चाहते, सरकारी दफ्तरों में इन वर्गों के लिए नौकरियां है लेकिन उनके लिए आरक्षित पदों पर भर्ती नहीं की जा रही है.

आईपीयू कांफ्रेंस में भारत की बुलंद आवाज

- सांसद लता ने अनाथालय तस्करी के मुद्दे पर दिए सुझाव
- अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान किया आकर्षित

नई दिल्ली, 9 अप्रैल. उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में आयोजित 150वीं इंटर-पार्लियामेंटरी यूनियन कांफ्रेंस में भारतीय संसद का प्रतिनिधित्व कर रही सांसद डॉ. लता वानखेड़े ने एक संवेदनशील और विश्व स्तर पर प्रासंगिक मुद्दे को उठाकर न सिर्फ अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किया, बल्कि भारत की सामाजिक प्रतिबद्धता को भी स्पष्ट रूप से सामने रखा. सांसद ने अनाथालय तस्करी पर केंद्रित उनके वक्तव्य ने आईपीयू के मंच पर भारत की छवि को एक मानवीय और संवेदनशील राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत किया. इस विषय पर 2023 में आईपीयू द्वारा पारित प्रस्ताव का हवाला देते हुए डॉ वानखेड़े ने कहा कि यह प्रस्ताव एक शुरुआत थी, और अब समय आ गया है कि सदस्य राष्ट्र इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाए.

सांसद ने मुद्दे की गंभीरता को गहराई से समझाया, उन्होंने बताया कि अनाथालय तस्करी एक छिपा हुआ अपराध है. कई बच्चे जिन्हें अनाथ बताकर संस्थाओं में रखा जाता है उन्हें गरीब परिवारों से अलग किया जाता है। उन्होंने कहा हर बच्चे को परिवार में प्यार, सुरक्षा और स्थायित्व का अधिकार है. संसदों की भूमिका को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि संसदों को तीन अहम सुझावो को अमल में लाना होगा.

2 साल में किसानों को दिए 3,400 करोड़

राजस्थान के मुख्यमंत्री ने हनुमानगढ़ में किसानों से की मुलाकात

जयपुर, 09 अप्रैल. राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में किसानों को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए बताया कि किस तरह गंगानगर क्षेत्र के किसानों को करीब 3,400 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं. सीएम शर्मा ने किसानों की समस्याओं के समाधान की बात करते हुए उन्हें भरोसा दिलाया कि पार्टी के चुनावी वादों को पूरी तरह लागू किया जाएगा .

राजस्थान के मुख्यमंत्री ने हनुमानगढ़ जिले का दौरा किया और हनुमानगढ़ के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में भाखड़ा नहर क्षेत्र के किसानों के साथ बैठक की . उन्होंने कहा , अगर किसान मजबूत होगा, तो हमारा राज्य भी मजबूत होगा. मैं हर रोज देखता था कि हनुमानगढ़ , गंगानगर के किसान किसी न किसी समस्या को लेकर किसी ब्लॉक ऑफिस, जिला कार्यालय पर होते हैं...हम किसानों की समस्याओं का समाधान करेंगे . आपने देखा है कि 2 साल के अंदर गंगानगर के किसानों के लिए 3,400 करोड़ रुपये का एस्टीमेट दिया गया है.

सीएम शर्मा ने उन्हें कृषि क्षेत्र में राज्य सरकार के प्रयासों, किसान कल्याण योजनाओं और आधुनिक कृषि तकनीकों के बारे में विस्तृत जानकारी दी. राजस्थान के सीएम की एक पोस्ट में कहा गया है, उनसे बातचीत के दौरान, किसानों को हमारी सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में किए जा रहे नए प्रयासों, किसान कल्याण योजनाओं और आधुनिक कृषि तकनीकों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई. इसके साथ ही, उन्हें राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी संकल्प समृद्ध किसान , विकसित राजस्थान को प्राप्त करने के लिए किए जा रहे प्रयासों और नीतिगत निर्णयों की जानकारी दी गई.

अन्नपूर्णा देवी आज से अरुणाचल प्रदेश की यात्रा पर

नयी दिल्ली,09 अप्रैल (वार्ता) केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी आज गुरुवार से अरुणाचल प्रदेश की यात्रा पर रहेंगी और केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगी.

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि केन्द्रीय मंत्री पोषण पखवाड़ा के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए 10 से 13 अप्रैल तक अरुणाचल प्रदेश की यात्रा करेंगी. यात्रा के दौरान, वह केंद्र सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन को बढ़ाने के उद्देश्य से कई क्षेत्र के दौरे और समीक्षा बैठकों पर ध्यान केंद्रित करेगीं.

वह क्रा दादी और लोअर सुबनसिरी जिलों का दौरा करेंगी, जहां वह पोषण पखवाड़ा से संबंधित गतिविधियों में भाग लेंगी. पोषण पखवाड़ा कार्यक्रमों में भाग लेने के अलावा, वह क्षेत्र के स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों , अस्पतालों, सहकारी समितियों और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) का दौरा करेंगी, ताकि लाभार्थियों से बातचीत की जा सके और सरकारी योजनाओं के प्रभाव का आकलन किया जा सके. इन यात्राओं का उद्देश्य महिलाओं, बच्चों और हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए प्रमुख सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना है.

एक नजर में

पाक में पीटीआई समर्थकों की पुलिस से झड़प

इस्लामाबाद. पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले में अदियाला जेल के बाहर बुधवार को पाकिस्तान-तहरीके-इंसाफ (पीटीआई) समर्थकों की पुलिस के साथ उस समय झड़प हो गयी जब जेल प्रशासन ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से मिलने के लिए उनकी बहन अलीमा खान को अनुमति नहीं दी. पीटीआई प्रमुख को भ्रष्टाचार के आरोपों में दोषी ठहराए जाने के बाद उनकी पत्नी बुशरा बीबी और कई अन्य उच्च पार्टी पदाधिकारियों के साथ दो साल से अदियाला जेल में रखा गया है. पाकिस्तानी समाचारपत्र डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक खान से मिलने की अनुमति न दिये जाने के बाद अलीमा ने जेल परिसर के बाहर धरना शुरू कर दिया. उनके साथ उनकी बहन उज्मा खान, उनके चचेरे भाई और कुछ महिला कार्यकर्ता भी थीं. सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें कानून-व्यवस्था को बाधित न करने के लिए पास के मैरिज हॉल में ले जाया.

आज का इतिहास

- 2000 पाकिस्तान को निर्गुट संगठन से निकालने का भारत का प्रस्ताव गुटनिरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में मंजूर.
- 2001 भारत व ईरान के बीच तेहरान घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर.
- 2002 15 सालों में पहली बार एलटीटीई के सुप्रीमो वी. प्रभाकरण ने प्रेस कांफ़्रेंस में भाग लिया.
- 2003 इराक पर अमेरिका का कब्ज़ा. 2005-महिला क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने 98 रन से भारत को हराया.
- 2014 सीरिया के अलेप्पो में 88 नागरिक युद्धक विमानों के बम द्वारा मारे गए.
- 2016-केरल के कोल्लम जिले के पुत्तिलिंग मंदिर में भीषण आग से करीब 110 लोगों की मौत, 300 से ज्यादा लोग घायल.
- 2020-मशहूर शास्त्रीय संगीतज्ञ और ग़ज़ल गायिका शांति हीरानंद का निधन.

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश,कनिष्ठ खंड, कन्नौद, जिला देवास (म.प्र.)

Presiding Officers कुंदन कछवाहे

(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत प्रकाशन हेतु)

(RCS B/0000039/2023)

अशोक कुमार......... वादी

V/s नर्मदा प्रसाद .... प्रतिवादी

Process id/2025

पेशी दिनांक: -16/04/2025

प्रेषिती:- 1. नर्मदाप्रसाद पिता भोलेनाथ जाति नाथ, पता-निवास ग्राम बावडीखेड़ा तहसील कन्नौद, जिला देवास म.प्र.

यह कि प्रार्थी अशोक कुमार ने आपके विरुद्ध आदेश 7 नियम 1 सीपीसी के अंतगत के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात/हाजिर होने के लिये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते हैं, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें, जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को आवगत करावें।

यह आज तारीख 07 अप्रैल 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है।

न्यायालय की मुद्रा

न्यायाधीश
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश,कनिष्ठ खंड, कन्नौद, जिला देवास (म.प्र.)

कृपया ध्यान दें:- 1. यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जाएगा।

एचडीएफसी बैंक लि. HDFC BANK We understand your world

स्कीम नं. 94, ब्रिलियंट एवेन्यु, बॉम्बे हॉस्पिटल के पीछे, रिंग रोड़, इन्दौर-452010

आधिपत्य सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने **एचडीएफसी बैंक लि.** का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (इसके बाद ''नियम'' के रूप में संदर्भित)और प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 का सपठित नियम 13 (इसके बाद ''नियम'' के रूप में संदर्भित) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में ऋणगृहिता/ जमानतदार/ बंधककर्ता **मैसर्स जय अम्बे गारमेन्ट्स (ऋणी), इसके प्रोप्रायटर श्री अमर सितलानी एवं श्री अमर सितलानी (सह-आवेदक), कुमारी गीता सितलानी (सह-आवेदक एवं बंधककर्ता)**, को मंगनी करते हुए मांग सूचना पत्र दिनांकित **14-01-2025** उक्त सूचना पत्र की प्राप्ति दिनांक से 60 दिनों के भीतर ड्रॉपलाइन ओवरड्राफ्ट सुविधा खाता नं. 50200047660574 हेतु **रूपये 80,72,070.48/- (रूपये अस्सी लाख बहोत्तर हजार सत्तर एवं अडतालीस पैसे मात्र)** साथ ही आगे का ब्याज एवं खर्चे सहित सूचना पत्र में उल्लेखित राशि को लौटाने के लिए निर्गमित किया।

ऋणगृहिता/जमानतदार/बंधककर्ता के यह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋणगृहिता/ जमानतदार/बंधककर्ता और सर्वसाधारण को एतद् द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) सपठित उक्त नियम के नियम 8 के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्ति का **सांकेतिक आधिपत्य** दिनांक **04 अप्रैल 2025** को ग्रहण कर लिया है।

ऋणगृहिता/जमानतदार/बंधककर्ता को विशेषत: एवं सर्वसाधारण को सामान्यत: एतद् द्वारा सम्पत्ति के साथ व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई व्यवहार **रूपये 80,72,070.48/- (रूपये अस्सी लाख बहोत्तर हजार सत्तर एवं अडतालीस पैसे मात्र)** एवं पुर्णभुगतान तक उस पर ब्याज एवं खर्चो सहित राशि के लिए **एचडीएफसी बैंक लि.** के प्रभार के अधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान प्रतिभूति आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की **धारा 13 की उपधारा (8)** के उपबंधो की ओर आकृष्ट किया जाता है।

बंधक परिसंपत्तियों की अनुसूची

31, त्रिवेणी कॉलोनी मेन, महिदपुरवाला फर्नीचर के पास, माणिक बाग रोड, इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत 452001.

संपत्ति के मालिक - जयपाल दास सितलानी एवं गीता सितलानी

दिनांक : 10.04.2025
स्थान : इंदौर

प्राधिकृत अधिकारी
एचडीएफसी बैंक लि.

शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फायनेंस कम्पनी लिमिटेड

शुभम्

कार्पोरेट कार्यालय - 425, उद्योग विहार फेस- IV, गुडगांव -122015 (हरियाणा)
फोन- 0124-4212530/31/32, ईमेल:- customercare@shubham.co, बेवसाईट - www.shubham.co

आधिपत्य सूचना (अचल संपत्तियों के लिए)

जहां कहीं शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फायनेंस कम्पनी लिमिटेड (यहां आगे शुभम कहा जायेगा) के प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर अधोहस्ताक्षरकर्ता ने सिक्यूरिटाइजेशन एंड रिकन्स्टक्शन ऑफ फायनेंसियल एस्सेट्स एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इंट्रस्ट एक्ट, 2002 एवं के साथ सपठित सिक्यूरिटी इंट्रस्ट (इंफोर्समेंट) नियम 2002 के नियम 3 के साथ सपठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित ऋणकर्ताओं को ऋण राशि को उपरोक्त सूचना की प्राप्ति के दिनांक से 60 दिवस के अंदर पुर्नभुगतान हेतु नोटिस जारी किया था। ऋणकर्ता राशि का पुर्नभुगतान करने में असफल रहे हैं ऋणकर्ताओं को एवं सामान्य जनों को सार्वजनिक रूप से इस एतद सूचना द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उपरोक्त कानून के नियम 8 के साथ उपरोक्त कानून की धारा 13 (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए वर्णित संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया है। ऋणकर्ताओं को विशेष रूप में एवं सामान्य जनों को सार्वजनिक रूप में चेतावनी दी जाती है कि संपत्ति के साथ कोई व्यवहार ना करें एवं इन संपत्तियों के साथ व्यवहार शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फायनेंस कम्पनी लिमिटेड के साथ नीचे दर्शाई राशि एवं उस पर ब्याज के विषयानुसार होगा।

ऋणकर्ता के ध्यानार्थ, धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के अंतर्गत उपलब्ध समयसीमा में सुरक्षित संपत्ति वापस प्राप्त करने हेतु आमंत्रित किया जाता है। विवरण नीचे दिया गया है:-

स. क्र.	ऋण खाता क्रं., ऋणकर्ता (ओं) का नाम	मांग सूचना दिनांक एव राशि	सुरक्षित संपत्ति	चस्पा की दिनांक
1	लोन नं. 0IDR2212000005054965 & 0IDR2212000005055865, रवीन्द्र मेहता, मंजुबाई	18-01-2025 & ₹12,38,170/- & ₹ 3,13,763/-	मकान नं.22 नया नं.39 राम नगर वार्ड नं.06, तहसील व जिला इंदौर मध्य प्रदेश -452016	07-04-2025
2	लोन नं. 0IDR2212000005055735, रजत जोशी, गायत्री वर्मा	18-01-2025 & ₹ 15,22,251/-	मकान नं.140 राम बलराम नगर, ग्राम सिरपुर, तहसील एवं जिला इंदौर, मध्य प्रदेश -452001	07-04-2025
3	लोन नं. UJN_1401_017054, मदन लाल परमार, सीमा बाई परमार	18-01-2025 & ₹ 4,08,862/-	भूमि सर्वे नं.1469 एंव1470 भाग विराट नगर के पास आगर रोड उज्जैन मध्य प्रदेश -456001	07-04-2025

स्थान : गुड़गांव
दिनांक : 09-04-2025

प्राधिकृत अधिकारी
शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फायनेंस कम्पनी लिमिटेड

कार्यालय अधीक्षक, सब जेल कन्नौद, जिला-देवास (म.प्र.)

क्रमांक/438/निर्वाह/2025 कन्नौद, दिनांक: 04.04.2025

द्वितीय वार्षिक ई-निविदा आमंत्रण सूचना
वर्ष 2025-2026

समस्त पंजीकृत एवं प्रतिष्ठित व्यापारियों को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में सब जेल कन्नौद, जिला देवास म.प्र. में परिरुद्ध बंदियों के लिए लगने वाली आवश्यक सामग्रियों की पूर्ति हेतु म.प्र. जेल आपूर्ति नियम 1968 तथा म.प्र. भंडार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 (यथा संशोधित 2022) के तहत (01) खाद्यान्न (02) सब्जियाँ एवं फल तथा (03) स्वच्छता /विद्युत सामग्री तथा भवन संबंधी सामग्रियों की पूर्ति हेतु द्वितीय वार्षिक ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा की जानकारी वेबसाईट www.mptenders.gov.in पर प्राप्त की जा सकेगी। निविदा कार्यक्रम का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	विवरण	दिनांक/समय	स्थान
01.	प्री-बिड मीटिंग	21.04.2025 दोपहर 12.00 बजे	कार्यालय अधीक्षक सब जेल कन्नौद
02.	ई-निविदा फार्म क्रय करने की अंतिम तिथि, निविदा फार्म का मूल्य रु. 1000/- प्रति फार्म राशि महा लेखाकार ग्वालियर म.प्र. शीष 0056, जेले-800 अन्य प्राप्तियों में जमा की जाएगी।	28.04.2025 दोपहर 02.00 बजे	www.mptenders.gov.in पर फार्म ऑनलाईन क्रय किये जा सकेंगे।
03.	ई-निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	28.04.2025 शाम 05.00 बजे तक	www.mptenders.gov.in पर ऑनलाईन प्रस्तुत की जाएगी।
04.	नमूने जमा करने की अंतिम तिथि (उक्त दिनांक को नमूनों का गुणवत्ता परीक्षण भी किया जाएगा)	28.04.2025 दोप. 02.00 बजे	कार्यालय अधीक्षक सब जेल कन्नौद में प्रस्तुत किया जाए।
05.	तकनीकी ई-निविदा (आवश्यक दस्तावेज) ऑनलाईन खोलने की तिथि	30.04.2025 दोप. 01.00 बजे	कार्यालय अधीक्षक सब जेल कन्नौद द्वारा
06.	वित्तीय ई-निदिवा आनलाईन खोलने की तिथि	02.05.2025 दोपहर 01.00 बजे	कार्यालय अधीक्षक सब जेल कन्नौद द्वारा।

नोट:- वार्षिक ई निविदा फार्म ऊपर दर्शित वेबसाइट www.mptenders.gov.in पर ऑनलाईन सिस्टम पर क्रेडिट कार्ड या ऑनलाईन भुगतान कर ही क्रय किये जा सकते हैं। ई-निविदा एवं उससे संबंधित समस्त जानकारी ऊपर दर्शाई गई वेबसाइट पर देखे। द्वितीय वार्षिक ई-निविदा संबंधी समस्त कार्यवाही जेल अधीक्षक सब जेल कन्नौद द्वारा की जाएगी। निविदा के संबंध में किया जाने वाला कोई भी संशोधित संबोधित वेबसाइट पर किया जाएगा, जिसका प्रकाशन पृथक से समाचार पत्रों में किया जाएगा।

जी -11303/25

जेल अधीक्षक
सब जेल कन्नौद
जिला-देवास (म.प्र.)

म.प्र. पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम

कार्यालय परियोजना यंत्री, इंदौर संभाग क्रमांक-02, इंदौर जी-13, प्रथम 'तल' एम.आई.जी. कॉलोनी, एम.आई.जी. थाने के पीछे, इंदौर (म.प्र.), मो. नं. : 9425601512, दूरभाष : 0731-2550472, Email-Id : mpphidclindore2@gmail.com

निविदा आमंत्रण सूचना - 2/2025-26

म.प्र.पु.आ. एवं अधो.वि.नि., इंदौर संभाग क्र.-02, इंदौर द्वारा पुलिस आवास एवं पुलिस आवास (एन.जी.ओ.) के निर्माण कार्यों, थाना मांधाता परिसर जिला खण्डवा हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र दिनांक 21.04.2025 तक खरीदे जा सकते हैं, जिसकी विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण **https://mptenders.gov.in** पर देखे जा सकते हैं।

म.प्र. माध्यम/119616/2025 **परियोजना यंत्री**

पश्चिम रेलवे - वड़ोदरा मण्डल

विभिन्न इंजीनियरिंग कार्य

ई-निविदा सूचना सं : DRM-BRC 015 T0 024 वर्ष 2025-26 भारत के राष्ट्रपति की ओर से मंडल रेल प्रबंधक (डब्ल्यूए/सी), पश्चिम रेलवे, प्रतापनगर, वडोदरा-390 004 द्वारा निम्नलिखित कार्यों के लिए सीलबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

क्र.सं.	ई-निविदा सं. एवं कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (रु. में)	बोली सुरक्षा जमा की जानी (रु. में)
1	DRM BRC 015 of 2025-26 वडोदरा मंडल: पावी, छुछपुरा और पिलोल स्टेशन पर प्लेटफार्म को ऊंचा उठाना।	10,45,12,391.07	6,72,600.00
2	DRM BRC 016 of 2025-26 वडोदरा मंडल:- डीईएन उत्तर बीआरसी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत रेल नवीकरण और अन्य विविध ट्रैक नवीकरण कार्यों के माध्यम से।	3,42,90,959.91	3,21,500.00
3	DRM BRC 017 of 2025-26 वडोदरा (पी): मानसून की अवधि के लिए सीओपी के वैली गटर की मानसून पूर्व सफाई और स्वच्छता बनाए रखना तथा एसएसई/डब्ल्यू/बीआरसीपी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत भवन के टेरेस स्लैब की मानसून पूर्व सफाई।	4,98,473.53	10,000.00
4	DRM BRC 018 of 2025-26 प्रतापनगर और विश्वामित्री: कार्यशाला के अंदर, बाहर, पिट लाइन और सिक लाइन तथा एसएसई (डब्ल्यू) पीआरआईएन कार्यालय, विश्वामित्री, पीआरटीएन स्टेशन के सामने वाले नाले सहित खुले नाले तक वर्षा जल निकासी की सफाई तथा चोक गैली ट्रैप की सफाई, क्वार्टरों और सर्विस बिल्डिंग की छत की सफाई और जेटिंग।	4,90,399.87	9,800.00
5	DRM BRC 019 of 2025-26 एसएसई(डब्ल्यू)बीआरसीपी (पुनः आमंत्रित) (आर-1) के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत क्लोरीनीकरण द्वारा पेयजल आपूर्ति का कीटाणुशोधन।	3,58,292.69	7,200.00
6	DRM BRC 020 of 2025-26 एडीईएन (एन) बीएच के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सीमित ऊंचाई वाले सबवे/लेवल क्रॉसिंग/रोड अंडर ब्रिज रेलवे कॉलोनी/रेलवे स्टेशन/रेलवे यार्ड/शेड आदि के विभिन्न स्थानों के आसपास के क्षेत्र से बारिश के पानी/कीचड़/पानी की निकासी के लिए डीजल पंप को किराये पर लेना।	28,18,569.62	56,400.00
7	DRM BRC 021 of 2025-26 एडीईएन (एस) बीआईएल के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सीमित ऊंचाई वाले सबवे/लेवल क्रॉसिंग रोड अंडर ब्रिज/रेलवे कॉलोनी/रेलवे स्टेशन/रेलवे यार्ड/शेड आदि के विभिन्न स्थानों के आसपास के क्षेत्र से बारिश के पानी/कीचड़ को बाहर निकालने के लिए डीजल पंप को किराये पर लेना।	14,36,389.61	28,700.00
8	DRM BRC 022 of 2025-26 सीनियर डीईएन ई बीआरसी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सीमित ऊंचाई वाले सबवे/लेवल क्रॉसिंग/आरयूबी रेलवे कॉलोनी/रेलवे स्टेशन/रेलवे यार्ड शेड आदि के विभिन्न स्थानों के आसपास के क्षेत्र से वर्षा जल/कीचड़/कीचड़ को निकालने के लिए डीजल पंप को किराये पर लेना।	27,37,584.80	54,800.00
9	DRM BRC 023 of 2025-26 वडोदरा डिवीजन: डिवीजनल इंजीनियर उत्तर वडोदरा (डीईएन-एन-बीआरसी) के अधिकार क्षेत्र के तहत विभिन्न स्थानों के लिए डीजल पंप किराए पर लेना।	25,47,851.20	51,000.00
10	DRM BRC 024 of 2025-26 मंडल अभियंता (पश्चिम) वडोदरा के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सीमित ऊंचाई वाले सबवे/लेवल क्रॉसिंग/रोड अंडर ब्रिज/रेलवे कॉलोनी/रेलवे यार्ड/शेड आदि के विभिन्न स्थानों के आसपास के क्षेत्रों में वर्षा जल/कीचड़/स्लज को निकालने के लिए डीजल पंप और विद्युत सबमर्सिबल पंप को किराये पर लेना।	32,82,951.64	65,700.00

निविदा प्रस्तुत करने और निविदा खोलने की तिथि और समय : निविदा संख्या DRM BRC 015 वर्ष 2025-26 : निविदा 28.04.2025 को 15.00 बजे से पहले प्रस्तुत की जाएगी, और उसी तारीख को 15.30 बजे खोली जाएगी। **निविदा संख्या : DRM BRC 016 से 019 वर्ष 2025-26 :** निविदाएं 29.04.2025 को 15.00 बजे से पहले प्रस्तुत की जाएंगी और उसी तारीख को 15.30 बजे खोली जाएगी। **निविदा संख्या : DRM BRC 020 से 24 वर्ष 2025-26 :** निविदाएं 30.04.2025 को 15.00 बजे से पहले प्रस्तुत की जाएगी और उसी तारीख को 15.30 बजे खोली जाएगी। **वेबसाइट विवरण और सूचना स्थान जहां से पूर्ण विवरण देखा जा सकता है और कार्यालय का पता जहां से निविदा फार्म खरीदा जा सकता है :** मंडल रेल प्रबंधक (डब्ल्यूए/सी) पश्चिम रेलवे, प्रतापनगर, वडोदरा-4 वेबसाइट @ www.ireps.gov.in 002

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly • हमें फॉलो करें: twitter.com/WesternRly